



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण राजकीय/अराजकीय/अल्पसंख्यक नियमित  
(सेवाकालीन सहित)परीक्षा, 2017 के लिए पंजीयन संबंधी सूचना**

**विज्ञापित संख्या - 39/2017**

एतद् द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त एवं इस परिषद् से सम्बद्ध राजकीय/अराजकीय/अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या, प्रशिक्षुओं एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा शिक्षा सत्र 2012-2014, शिक्षा सत्र 2013-2015 एवं शिक्षा सत्र 2015-2017 के लिए पंजीयन कराने हेतु निम्नवत् कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

- (क) सादा पंजीयन आवेदन प्रपत्र वितरण की तिथि:- 10.07.2017 से 15.07.2017 तक।  
(ख) भरे हुए पंजीयन आवेदन एवं शुल्कादि परिषद् कार्यालय, राँची में बिना विलम्ब शुल्क के जमा करने की तिथि:- 17.07.2017 से 25.07.2017 तक।  
(ग) भरे हुए पंजीयन आवेदन एवं शुल्कादि परिषद् कार्यालय, राँची में विलम्ब शुल्क के साथ जमा करने की तिथि:- 26.07.2017 से 27.07.2017 को संध्या 5:00 बजे तक।

**2. शुल्कादि का विवरण**

- (क) पंजीयन शुल्क- ₹500/-, (ख) पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क- ₹150/-,  
(ग) पंजीयन विलम्ब शुल्क- ₹300/-, (घ) आब्रजन शुल्क- ₹200/-  
3. अराजकीय/अल्पसंख्यक शिक्षा सत्र 2015-2017 के नियमित प्रशिक्षु पंजीयन आवेदन संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जिनका सत्र पूरा हो चुका है और आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो गया है। ऐसे महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य को आवेदन के साथ निम्न कागजात/साक्ष्य जमा करना होगा:-

- (क) एन.सी.टी.ई. द्वारा दी गई प्रस्वीकृति संबंधी पत्र, जिस सत्र का परीक्षा होना है, की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति।  
(ख) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छाया प्रति।  
(ग) पाठ्यक्रम एवं सत्र पूरा होने संबंधी घोषणा पत्र।

4. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत सेवाकालीन प्रशिक्षण/नियमित शिक्षक प्रशिक्षु, जिनका प्रतिनियोजन सक्षम पदाधिकारी के द्वारा राजकीय आदेश के तहत विधिवत् रूप से किया गया है और जिनका सत्र पूर्ण और आन्तरिक मूल्यांकन 31.10.2017 तक समाप्त हो जाएगा, वैसे महाविद्यालय/संस्थान नियमित प्रशिक्षुओं का पंजीयन संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से करा सकते हैं। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य सेवाकालीन प्रशिक्षुओं के पंजीयन आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निम्नांकित कागजात के साथ परिषद् में जमा करेंगे:-

- (क) एन.सी.टी.ई. द्वारा दी गई प्रस्वीकृति संबंधी पत्र की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति।  
(ख) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति।  
(ग) पाठ्यक्रम एवं सत्र पूरा होने संबंधी घोषणा पत्र। यहाँ यह सत्यापित करना आवश्यक है कि शिक्षा सत्र 2012-2014 एवं 2013-2015 के वैसे राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय जिनका शिक्षा सत्र समाप्त एवं आन्तरिक मूल्यांकन 31 अक्टूबर, 2017 तक समाप्त हो गया है, परीक्षा फार्म भरने तक इन प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र समाप्त का घोषणा पत्र एवं आन्तरिक मूल्यांकन समाप्त का घोषणा पत्र नहीं दिया जाता है, तो वैसे प्रशिक्षुओं का परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिनकी सारी जिम्मेवारी संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय की होगी।  
(घ) राजकीय आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति जिसके तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया हो एवं नियमित प्रशिक्षुओं का चयन सूची।  
(च) प्रतिनियुक्त संबंधी आदेश की सत्यापित छाया प्रति।  
यथा उल्लिखित कागजात के अभाव में तथा निर्धारित तिथि के बाद पंजीयन आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**नोट:- एन.सी.टी.ई. द्वारा संबंधित महाविद्यालय/संस्था के लिये स्वीकृत सीट के अन्तर्गत ही नियमित प्रशिक्षुओं का पंजीयन किया जा सकेगा।**

JAC/P.T.T/2233/17/SECY/357/17  
Dt. 08.07.17  
D.O.P : 09.07.17

अध्यक्ष के आदेश से,  
ह./- ( रजनीकान्त वर्मा )  
सचिव,  
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।